

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)


प्राथना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
21/021	136 L.R. Act	तीतर रेवडी	६७३८
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कैलाश	बनाम	राजस्थान संस्कार	

2021/115

वकील :- शंकर सिंह जाड़ा **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

29/11
 अभिभाषक प्राथी द्वारा प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्राथीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सारिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्राथीगण गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 6/9/021 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा, जिला बारां (राज0)

6/9/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित/तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली वास्ते इंतजार तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 11.10.21 को पेश हो।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

22/11 पत्रावली प्रशासन गोक के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत रेवडी पर आज पेशा हुई। प्राथी द्वारा प्रमाण मू. राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया गया जिसमें प्राथी द्वारा ग्राम तीतर रेवडी के रकवा संख्या 377 रकवा 11 वीजा 11 बिस्वा में से 1/8 हिस्से में गई। प्राथी जाति से लोपाईतप्रा विहेवा जाति से हीमर है परन्तु पत्रकारी हल्का द्वारा इंतकाल खोलते समय प्राथी /रेवडी में जाती लोपा के स्थान हीमर दर्ज हो गई है जिसे शुद्ध/सही दर्ज कराने का निवेदन किया।

उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार इकडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इकडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्राथी कैलाश पुत्र जि. श्रीलाल जाति लोपा ने ग्राम तीतर रेवडी के रकवा दर रंगलाल पुत्र मुकड़ा जाति


सन गाँवों के संग अधिवान-2021

न्यायालय उ

दीमर से रकम 377 रुका 11.11 कोषा भूति के हि/8
कथ की गई जिसका अगल दरामद बर्तमान जमाव दी
में हो चुका है जिसमें प्रार्थी की जाति लोका के स्थान
पर दीमर दर्ज हो गई है जिसे सही किया जात
उचित होगा।

मुताबिक परवरी दामा, भू. क्रि. निरी. एवं तहसीलदार
दृष्टा की अनुशेषा के आधार पर प्रार्थी की जाति लोका
दर्ज किया जात उचित होगा।

तहसीलदार दृष्टा की अनुशेषा के आधार
पर प्रार्थी की जाति दीमर के स्थान पर लोका दर्ज किया
जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश प्रथम से जारी
हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होमर दालिल दफ़तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारा (राज०)

कार्यवाही अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक.....को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

1505-...

“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दुवड़ा जिला बारां (राज०)

-: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी तीतरखेरी व मू.अ.नि. लापचा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां नामक तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तीतरखेरी तहसील दुवड़ा जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 159 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>तीतरखेरी</u>	<u>159</u>	<u>जाति शीमर</u>	<u>जाति लोचा</u>



On
(तीतरखेरी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दुवड़ा, जिला बारां (राज०)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/20.21/केचय तीतरखेरी/ 280

दिनांक 22.11.2021
22/8/22

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार दुवड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दुवड़ा पुत्रा प्रदीपलाल तीतरखेरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

On
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दुवड़ा, जिला बारां (राज०)